

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राया बनाम रणजीत सिंह (रजिस्ट्र)

मुकदमा प्र.पत्र 11-12-20 नं. 52 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तानील
में जारी हुए

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थना उपस्थित, अप्रार्थीगण
OL लगायत 03, 5 लगायत 13 के सम्मन बाद शामिल
होकर सात हुए जिसे शा-पत्र पत्रावली किये गये।
वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। तहसीलदार मोडल से मौजूद रिपोर्ट प्राप्त हुई
जिसे शा-पत्र किया गया। अप्रार्थीगण को लिखी गयी
आवापे खिलायी जाने के बाद की उपस्थित नहीं, इनके
विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश
दिया जाता है। वकील प्रार्थी का शा-पत्र स्वीकार किया
जाकर जिक्र पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर
से सम्मती।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

प्रतिवादी सं. 4
के विरुद्ध कोई
कार्यवाही नहीं
चाहती है

प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला

पीठासीन अधिकारी-डॉ. पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 52/22 माण्डल

1- श्री रामा 5/1 पोपाल माली जिवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री राजीत 5/1 धन्ना माली जिवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (वर्गेर)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.....4892.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.3541 ~~हैक्टैयर~~ विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-02-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....4892.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.3541 ~~हैक्टैयर~~ विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल.....को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।